राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 17, सोमवार, शाके 1939– अक्टूबर 9, 2017
Asvina 17, Monday, Saka 1939–October 9, 2017

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

खान (ग्रुप–2) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, अक्टूबर 9, 2017

संख्या प.3(31)खान/ग्रुप–2/2015 :–शासन की अधिसूचना क्रमांक प.4(184)खान/ग्रुप–2/85 दिनांक 09–02–1987 जो कि राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) उप–खण्ड (2) के पृष्ठ क्रमांक 395 पर दिनांक 09–02–1987 को प्रकाशित हुई, के द्वारा नागौर, जोधपुर, पाली तथा जैसलमेर जिलों के एस.एम.एस. ग्रेड. लाईमस्टोन क्षेत्रों को खनिज एस.एम.एस. ग्रेड लाईमस्टोन का गवेषण एवं खनन, राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु आरक्षित किया गया। पुनः शासन के आदेश क्रमांक प.4(184)खान/ग्रुप–2/85 दिनांक 09–03–1989 के द्वारा पाली तथा जोधपुर जिलों को अनारक्षित किया गया। तत्पश्चात् शासन की अधिसूचना प.4(184)खान/ग्रुप–2/85 दिनांक 25.09.1996 के द्वारा नागौर जिले के चार ब्लॉकों को आरक्षित रखते हुए शेष नागौर जिला अनारक्षित किया गया।

इसी क्रम में एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनिज एस.एम.एस. ग्रेड लाईमस्टोन के ऐसे ब्लॉक जिनमें खनिज एस.एम.एस. ग्रेड लाईमस्टोन के भण्ड़ार ब्लॉक में उपलब्ध कुल भण्ड़ार का 5 प्रतिशत से कम है, को ई–नीलामी से आवंटित किये जाने हेतु इस शर्त पर अनारक्षित किया जाता है कि अनुदानी लाईमस्टोन की कम्पोजिट माइनिंग करेगा, एस.एम.एस. ग्रेड लाईमस्टोन की आपूर्ति केवल स्टील प्लांट को ही करेगा तथा इस संबंध में पर्यवेक्षण एवं निगरानी की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
इकबाल,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।